भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2828

10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एच-1 बी वीज़ा

2828. श्री टी.एन. प्रथापनः
श्रीमती वांगा गीता विश्ववनाथः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय नागरिकों को एच-1 बी कार्य वीज़ा प्रदान किए जाने की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई आधिकारिक सूचना मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत भारतीय नागरिकों के हितों के सुरक्षोपाय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कदम से कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और **(ख)** जी, नहीं।

(ग) और **(घ)** भारत सरकार ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही और एच-1 बी वीज़ा कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर सभी स्टेक होल्डरों के साथ गहन परामर्श किया है और अमरीकी प्रशासन तथा काँग्रेस के साथ बातचीत की है। इस बातचीत में हमने इस बात पर जोर दिया कि यह परस्पर लाभकारी साझेदारी रही है जिसे बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय कुशल पेशेवरों ने अमरीकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में योगदान दिया है और उन्होंने अमेरिका को अपनी स्पर्द्धात्मक बढ़त एवं आविष्कारी श्रेष्ठता को बनाए रखने में मदद की है। वे भारत-अमरीका संबंधों में एक बड़े साझेदार हैं और भारत के साथ उनके संबंधों से अमरीकी कारोबार को मदद मिली है। हाल ही में, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर. पॉम्पियो की 26 जून, 2019 की भारत यात्रा के दौरान एच-1 बी वीज़ा का मुद्दा उठाया गया। हमने अमरीकी प्रशासन को बता दिया है कि हमें एक गैर पक्षपात-पूर्ण एवं सुस्पष्ट एच-1 बी वीज़ा व्यवस्था की उम्मीद है।

*****